राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(06)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/14/7400 दिनांक :20-6-18

आदेश

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि विभाग द्वारा राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाने के उपरान्त भी पदस्थापित निकाय से न तो कार्यमुक्त होते है और न ही नव पदस्थापित निकाय में कार्यग्रहण करते है अथवा पदस्थापित निकाय से कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापित निकाय में कार्यग्रहण नही करते है। जिसको विभाग द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि विभाग के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना में स्थानान्तरित अधिकारी तत्काल कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापित निकाय में कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में होने वाले स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश की पालना भी सुनिश्चित की जावे। अन्यथा राजकीय आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरूद्व सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये वे स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होगे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.1(क)(06)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/14/7401-7633 दिनांक :20-6-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
04. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि आपके क्षैत्राधिकार की निकायों में स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यमुक्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
05. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक